

(1)
न्यायालय सहायक कलेक्टर शेरगढ जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी महावीरसिंह जोधा (आर ए एस)

प्रकरण संख्या दायर दिनांक निर्णय दिनांक
30/2017 22.08.2017 05.07.2019

1. भंवरसिंह पुत्र श्री अमानसिंह जाति राजपूत निवासी पन्नेसिंह नगर तहसील शेरगढ जिला जोधपुर

वादी

बनाम

1. जोरसिंह पुत्र श्री अमानसिंह
2. पीरदानसिंह पुत्र श्री अमानसिंह
3. खिवसिंह पुत्र श्री अमानसिंह
4. जुगतसिंह पुत्र श्री अमानसिंह
5. दीपसिंह पुत्र श्री अमानसिंह
6. लक्ष्मी कंवर पत्नी जोर सिंह
सभी जातियान राजपूत निवासीगण पन्नेसिंह नगर तहसील शेरगढ जिला जोधपुर
7. ग्राम पंचायत गुमानसिंहपुरा तहसील शेरगढ जिला जोधपुर।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार शेरगढ जिला जोधपुर।
9. बेरीसालसिंह पुत्र नाथूसिंह जाति राजपूत निवासी नाथूसिंह नगर तहसील शेरगढ जिला जोधपुर

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत बंटवाडा व स्थाई निषेधाज्ञा।

1. वादीगण अधिवक्ता श्री पुष्पेन्द्रसिंह भाटी उपस्थित।
2. प्रतिवादीगण के अधिवक्ता श्री तुलछाराम उपस्थित।

वादी द्वारा एक वाद अन्तर्गत धारा 188, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रतिवादीगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया जिसमें इस न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 13.06.2018 को तहसीलदार शेरगढ को मौजा कमिश्नर नियुक्त किया जाकर निर्देशित किया गया कि मौजा पन्नेसिंहनगर तहसील शेरगढ की जमाबंदी संवत् 2071-2074 आराजी नम्बर 80 रकबा 266 बीघा भूमि का उभयपक्ष की उपस्थिति में मिट्स एण्ड साउण्डस के आधार पर बंटवाडा कर रिपोर्ट प्रस्तुत करे।

(2)

प्रकरण में तहसीलदार शेरगढ़ द्वारा दिनांक 27.03.2019 को बटवाडा रिपोर्ट
 प्रस्तुत की गई। प्रकरण में विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। बहस एवं तहसीलदार
 शेरगढ़ की रिपोर्ट पर मसन करने के पश्चात न्यायालय का निष्कर्ष है कि तहसीलदार
 शेरगढ़ की बटवाडा रिपोर्ट अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण की आराजीयात का
 मोम्नानुसार बटवाडा किया जाता है।

खातेदार	खसरा नम्बर	रकबा बीघा	किस्म	लगान
बजरसिंह पुत्र श्री अमानसिंह जाति राजपूत निवासी पन्नेसिंह नगर के हिस्से की भूमि	80	5.10	वा।।।।	3.57
	80	13.14	वा।।।।	
	80	15.15	वा।।।।	
	80	04.15	वा।।।।	
जोरसिंह पुत्र श्री अमानसिंह के हिस्से की भूमि	80	19.0	वा।।।।	3.93
	80	13.10	वा।।।।	
	80	00.17	वा।।।।	
	80	00.12	वा।।।।	
	80	09.16	वा।।।।	
खैवसिंह पुत्र श्री अमानसिंह के हिस्से की भूमि	80	10.02	वा।।।।	3.93
	80	13.12	वा।।।।	
	80	20.00	वा।।।।	
जुगतसिंह पुत्र श्री अमानसिंह के हिस्से की भूमि	80	42.01	वा।।।।	3.88
	80	01.00	वा।।।।	
दीपसिंह पुत्र श्री अमानसिंह के हिस्से की भूमि	80	23.14	वा।।।।	2.13
लक्ष्मी कवर पत्नी श्री जोरसिंह सभी जातियान राजपूत निवासीगण पन्नेसिंह नगर के हिस्से की भूमि	80	20.00	वा।।।।	1.80
ग्राम पंचायत गुमानसिंहपुरा तहसील शेरगढ़ के हिस्से की भूमि	80	00.13	वा।।।।	0.07
केरदानसिंह पुत्र श्री अमानसिंह जाति राजपूत निवासी पन्नेसिंह नगर के हिस्से की भूमि	80	14.14	वा।।।।	3.93
	80	2.00	वा।।।।	
बेरीसालसिंह पुत्र नाथूसिंह जाति राजपूत निवासी नाथूसिंह नगर सा भापालनगर के हिस्से की भूमि	80	4.00	वा।।।।	0.36

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी बोगान ()

भवरसिंह, जोरसिंह, पीरदानसिंह, खिंवसिंह, जुगतसिंह, दीपसिंह पिता अमानसिंह जाति राजपूत निवासी पन्नेसिंह नगर की भूमि रास्ता हेतु	80	3.15	बा।।।	0.34
--	----	------	-------	------

उपरोक्तानुसार वादी एवं प्रतिवादी को मौजा पन्नेसिंहनगर में स्थित उपरोक्त आराजीयात के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। बँटवाडा रिपोर्ट एवं नक्शा ट्रेस, निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। फाईनल डिक्री जारी हो।

निर्णय सरेइजलास सुनाया गया। प्रकरण शुमारफैसल होकर नम्बर से कम हो।



(महावीरसिंह जोधा)
सहायक कलक्टर
शेरगढ, जोधपुर

(4)
अतिम डिक्री व मुकद्दमें इत्तादाई
(आदेश 21 के नियम 6 और 7 जा दी.)

न्यायालय सहायक कलेक्टर शेरगढ जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी महावीरसिंह जोधा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 30/2017 दायर दिनांक 22.08.2017 निर्णय दिनांक 05.07.2019

1 भंवरसिंह पुत्र श्री अमानसिंह जाति राजपूत निवासी पन्नेसिंह नगर तहसील शेरगढ जिला जोधपुर

वादी

बनाम

1. जोरसिंह पुत्र श्री अमानसिंह
2. पीरदानसिंह पुत्र श्री अमानसिंह
3. खिवसिंह पुत्र श्री अमानसिंह
4. जुगतसिंह पुत्र श्री अमानसिंह
5. दीपसिंह पुत्र श्री अमानसिंह
6. लक्ष्मी कंवर पत्नी जोर सिंह
सभी जातियान राजपूत निवासीगण पन्नेसिंह नगर तहसील शेरगढ जिला जोधपुर
7. ग्राम पंचायत गुमानसिंहपुरा तहसील शेरगढ जिला जोधपुर।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार शेरगढ जिला जोधपुर।
9. बेरीसालसिंह पुत्र नाथूसिंह जाति राजपूत निवासी नाथूसिंह नगर तहसील शेरगढ जिला जोधपुर

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत बंटवाडा व स्थाई निषेधाज्ञा।

1. वादीगण अधिवक्ता श्री पुष्पेन्द्रसिंह भाटी उपस्थित।
2. प्रतिवादीगण के अधिवक्ता श्री तुलछाराम उपस्थित।

वादीगण व प्रतिवादीगणों का काश्त कब्जा अनुसार प्रस्तावित बंटवाडा निम्न प्रकार है।

खातेदार	खसरा नम्बर	रकबा बीघा	किस्म	लगान
भंवरसिंह पुत्र श्री अमानसिंह जाति राजपूत निवासी पन्नेसिंह नगर के हिस्सों की भूमि	80	5.10	वा।।।	3.57
	80	13.14	वा।।।	
	80	15.15	वा।।।	
	80	04.15	वा।।।	

(Handwritten signature)

कायालय उपखण्ड अधिकारी शेरगढ (जोधपूर)

जोरसिंह पुत्र श्री अमानसिंह के हिस्से की भूमि	80	19.0	वा।।।	3.93
	80	13.10	वा।।।	
	80	00.17	वा।।।	
	80	00.12	वा।।।	
	80	09.16	वा।।।	
जोरसिंह पुत्र श्री अमानसिंह के हिस्से की भूमि	80	10.02	वा।।।	3.93
	80	13.12	वा।।।	
	80	20.00	वा।।।	
जुगतसिंह पुत्र श्री अमानसिंह के हिस्से की भूमि	80	42.01	वा।।।	3.88
	80	01.00	वा।।।	
दीपसिंह पुत्र श्री अमानसिंह के हिस्से की भूमि	80	23.14	वा।।।	2.13
तहसी कंवर पत्नी श्री जोरसिंह सभी जातियान राजपूत निवासीगण पन्नेसिंह नगर के हिस्से की भूमि	80	20.00	वा।।।	1.80
ग्राम पंचायत गुमानसिंहपुरा तहसील शेरगढ के हिस्से की भूमि	80	00.13	वा।।।	0.07
पीरदानसिंह पुत्र श्री अमानसिंह जाति राजपूत निवासी पन्नेसिंह नगर के हिस्से की भूमि	80	14.14	वा।।।	3.93
	80	2.00	वा।।।	
बेरीसालसिंह पुत्र नाथूसिंह जाति राजपूत निवासी नाथूसिंह नगर सा. भोपालनगर के हिस्से की भूमि	80	4.00	वा।।।	0.36
मंवरसिंह, जोरसिंह, पीरदानसिंह, खिंवसिंह, जुगतसिंह, दीपसिंह पिता अमानसिंह जाति राजपूत निवासी पन्नेसिंह नगर की भूमि रास्ता हेतु	80	3.15	वा।।।	0.34

और इस वाद के खर्चे लेखेरुपये की राशिआज तारीख से वसूली की तारीख तक उस परप्रतिशत की दर से ब्याज सहितद्वाराको दी जाये ।

यह आज दिनांक 05.07.2019 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई ।

हस्ताक्षर न्यायाधीश
पद



(6)

मुद्दाई	रूपया	पैसे	मुद्दायलाह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अरजी दावा स्टाम्प वकालत नामा बाबत वजह साबूत मेहनताना वकील खर्चा गवाहान मेहनताना वकील फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक			स्टाम्प वकालत नामा स्टाम्प अरजी मेहनताना वकील खर्चा गवाहान मेहनताना वकील फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		

M. J. J.